

संदर्भ सं०

/यूपीसीडा/औ०क्षे०/

दिनांक

—: कार्यालय आदेश :-

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 2275/77-4-22-142एन/08टीसी दिनांक 20.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कोविड महामारी के दृष्टिगत सभी प्रकार की परियोजनाओं में बिना शुल्क समयविस्तारण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 02.07.2020 द्वारा प्रदान की गई अवधि के अतिरिक्त 06 माह का और निःशुल्क समयविस्तारण प्रदान किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

अस्मिता लाल

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ सं० 2320-2324

/यूपीसीडा/औ०क्षे०/ File order

दिनांक 19/10/22

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, (पी) यूपीसीडा, कानपुर।
3. समस्त प्रभारी (औ० क्षे०), मुख्यालय, कानपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, यूपीसीडा
5. कम्प्यूटर अनुभाग को मुख्यालय, कानपुर की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अस्मिता लाल

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी